


04.09.25

वकील प्रार्थी द्वारा प्राप्ति पेश करने पर फावली
पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल वाद नोट पेस के
आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है।
अतः यह प्राप्ति डोन्विल्टपीन होने के कारण इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। फावली बादतरीख तकमील
होकर डाकिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(सुनील कुमार चौधरी)
RAC